केन्द्रीय मुहर विभाग-2

हमारा संदर्भ : के.म्.वि.-2/16: 4505 06 08 2018

विषय: आई एस 4505:2015 (सोडियम फोंर्मेलडीहाइड सल्फोजाईलेट) के संशोधन संख्या 1 जून 2018 का अनुपालन

- 1. आई एस 4505:2015 के संशोधन संख्या 1 को प्रकाशित किया गया है। राजपत्र अधिसूचना सं. 3408 (अ) दिनांक 12 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
- 2. इस संशोधन के कार्यान्यवन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इस संशोधन को अनुपालन तिथि से लागू करने का निर्णय लिया गया है ।
- 3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्यवन के बारे सुचित करें।

(अदाने ख्रासी) वैज्ञानिक सी (के.मु.वि-2)

प्रमुख (के.म्.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/सीएचडी/एलपिपीडी को परिचालित आई टी एस विभाग - बीआईएस इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 4505 06 08 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 1 June 2018 to IS 4505:2015 (Sodium formaldehyde Sulphoxylate)

- 1. Amendment No. 1 to IS 4505:2015 has been published as per Gazette Notification No. S.O. 3408 (E) dated 12 July 2018.
- 2. This amendment does not necessitate any change in the existing STI.
- 3. All BOs are requested to inform the Licensees/Applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Adane Khrasi) Scientist-C (CMD-2)

Head (CMD-2)

Circulated to all ROs/BOs/Labs/CHD/LPPD

Copy to: ITSD for hosting on BIS Intranet

AMENDMENT NO. 1 JUNE 2018

TO IS 4505: 2015 SODIUM FORMALDEHYDE

SULPHOXYLATE — SPECIFICATION

(First Revision)

(Page 1, clause 3, Grade 1) — Substitute the following for the existing: 'Grade 1 — Discharge agent for textile printing and stripping and bleaching of oils, fats, soaps, jaggery and dates.'

(CHD 01)

Publication Unit, BIS, New Delhi, India